



## DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़

Government Girl's Polytechnic Campus, Byron Bazaar, Raipur - 492001

शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक परिसर, बैरन बाजार, रायपुर - 492001

Phone : 0771- 2331330, 2421376, Fax : 2331331, Website : <http://www.cgdteraipur.ac.in>

### Lateral Entry Counseling 2011

सत्र 2011-12 में विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित B.E./B.Pharmacy पाठ्यक्रमों में Lateral Entry के तहत मेरिट के आधार पर (3<sup>rd</sup> Sem) प्रवेश हेतु ऑन लाइन काउंसिलिंग एवं संस्था स्तर की काउंसिलिंग की सूचना

प्रदेश में स्थित AICTE से अनुमोदित समस्त शासकीय (Government), स्वशासी-स्ववित्तीय (Autonomous & Self Financing) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं निजी (Private) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित बी.ई. /बी. फार्मसी पाठ्यक्रमों के 3<sup>rd</sup> semester में लेटरल एंटी के लिये निर्धारित छत्तीसगढ़ कोटा (C.G. Quota) एवं अन्य राज्य कोटा (O.S. Quota) में सत्र 2011-12 में डिप्लोमा/बी.एस.सी. की मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिये संस्थाओं/ब्रांचों का आबंटन (Allotment) ऑन लाइन काउंसिलिंग द्वारा होगा। प्रवेश/आबंटन हेतु अभ्यर्थी का प्रवेश नियम के अनुसार पात्र होना अनिवार्य है। प्रवेश निर्देशिका वेबसाइट [www.cgdteraipur.ac.in](http://www.cgdteraipur.ac.in) एवं [www.mkcl.biz/cglateral2011](http://www.mkcl.biz/cglateral2011) में उपलब्ध है। इसका अवलोकन कर लें। अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम निम्नानुसार है।

#### ऑन लाईन काउंसिलिंग कार्यक्रम

स.क.	विवरण	दिनांक से	दिनांक तक
1	Website: <a href="http://www.mkcl.biz/cglateral2011">www.mkcl.biz/cglateral2011</a> में ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करना एवं ऑप्शन फार्म भरना (Online Registration & Option Filling)	11 सितम्बर 2011 पूर्वाह्न 11.00 बजे	14 सितम्बर 2011 अपराह्न 3.00 बजे
2	दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (Document Verification Centre) में दस्तावेजों का परीक्षण	12 सितम्बर 2011	14 सितम्बर 2011 शाम 5:30 बजे
3	प्रथम चरण की सीट आबंटन की सूची जारी करना (Provisional Allotment)	15 सितम्बर 2011 (समय दोपहर 2.00 बजे)	
4	आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य	16 सितम्बर 2011	17 सितम्बर 2011
5	संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों की जानकारी वेबसाइट में अपलोड करना	18 सितम्बर 2011 (पूर्वाह्न 11:00 बजे)	
6	रिक्त सीटों पर संस्था स्तर की काउंसिलिंग / प्रवेश	18 सितम्बर 2011	20 सितम्बर 2011

#### प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता

##### 1. बी. ई. पाठ्यक्रम के लिए

(अ) मान्यता प्राप्त संस्थानों से सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत प्राप्तांकों (एग्ग्रीगेट) के साथ अथवा अंतिम वर्ष में 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के अजा,अजजा एवं अपिव के लिए 45 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पूरक अथवा अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं हैं।

(ब) मान्यता प्राप्त संस्थानों से सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत प्राप्तांकों (एग्ग्रीगेट) के साथ अथवा अंतिम वर्ष में 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ बी.एस.सी. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के अजा,अजजा एवं अपिव के लिए 45 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पूरक अथवा अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं हैं।

बी.एस.सी. अभ्यर्थियों के लिए 12वीं में गणित विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

बी.एस.सी. अभ्यर्थियों को तभी प्रवेश दिया जाएगा जब डिप्लोमा अभ्यर्थियों की पूरी सूची समाप्त हो जाए।

##### 2. बी.फार्मसी पाठ्यक्रम के लिए

मान्यता प्राप्त संस्थानों से सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत प्राप्तांकों (एग्ग्रीगेट) के साथ अथवा अंतिम वर्ष में 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ द्विवर्षीय फार्मसी डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के अजा,अजजा एवं अपिव के लिए 45 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पूरक अथवा अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं हैं।

44.5 एवं अधिक को 45 तथा 49.5 एवं अधिक को 50 मान्य किया जाएगा।

आयु 1.7.2011 को 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। SC/ST/OBC/E/PH को 3 वर्ष की छुट है।

अर्हकारी परीक्षा में अभ्यर्थियों की अंतिम वर्ष के केवल सैद्धांतिक विषयों के प्राप्तांकों के प्रतिशत के मेरिट आधार पर आबंटन किया जायेगा।

समान कुलांक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता – समान कुलांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी ।

1. समस्त विषयों के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों के कुल प्राप्तांक 2. अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता

**(ब) प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम प्राथमिकता का निर्धारण :**

क्रमांक	डिग्री पाठ्यक्रम की ब्रांच का नाम जिसमें प्रवेश दिया जाना है	पात्रता हेतु उत्तीर्ण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के ब्रांच का नाम (03 वर्षीय इंजी . डिप्लोमा होना अनिवार्य है)
1	बायो टेक्नालॉजी	संबंधित ब्रांच – बायो टेक्नालॉजी समुचित ब्रांच – केमिकल इंजी./ फूड टेक्नालॉजी/ शुगर टेक्नालॉजी / बायो मेडिकल इंजी.
2	केमिकल इंजी.	संबंधित ब्रांच – केमिकल इंजी./ टेक्नालॉजी समुचित ब्रांच – पेट्रोकेमिकल एंड रिफायनरी इंजी./ प्लास्टिक टेक्नालॉजी/ सीमेंट टेक्नालॉजी/ पल्प एंड पेपर टेक्नालॉजी, / शुगर टेक्नालॉजी/ पॉलीमर/ रबर टेक्नालॉजी, / ऑयल एंड पेंट टेक्नालॉजी, / लेदर टेक्नालॉजी, / फूड प्रोसेसिंग टेक्नालॉजी
3	सिविल इंजी.	संबंधित ब्रांच – सिविल/ कन्स्ट्रक्शन टेक्नालॉजी एंड मनेजमेंट समुचित ब्रांच – एनवॉयरमेंट इंजीनियरिंग/ सिविल एंड रूरल इंजी./ सिविल एंड सेनेटरी इंजी. / ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग
4	कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी.	संबंधित ब्रांच – कम्प्यूटर साइंस समुचित ब्रांच – इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी
5	इलेक्ट्रिकल इंजी.	संबंधित ब्रांच – इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समुचित ब्रांच – इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग/ पावर इंजी.
6	इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन / इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजी.	संबंधित ब्रांच – इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजी. समुचित ब्रांच – इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स/ इलेक्ट्रानिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंटेशन/ आप्टो इलेक्ट्रानिक्स/ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स/ मेकाट्रानिक्स/ डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स/ इन्स्ट्रुमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजी./ इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजी.
7	इलेक्ट्रानिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजी.	संबंधित ब्रांच – इलेक्ट्रानिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजी. समुचित ब्रांच – इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन/ इन्स्ट्रुमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजी. / इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजी. / इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजी.
8	इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स इंजी.	संबंधित ब्रांच – इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स समुचित ब्रांच – इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन/ आप्टो इलेक्ट्रानिक्स / इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स/ मेकाट्रानिक्स/ इन्स्ट्रुमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल / इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजी. / इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजी
9	इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी	संबंधित ब्रांच – इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी समुचित ब्रांच – कम्प्यूटर साइंस
10	मेकेनिकल इंजी.	संबंधित ब्रांच – मेकेनिकल इंजीनियरिंग समुचित ब्रांच – प्रोडक्शन इंजी., / रेफ्रीजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजी./ ऑटोमोबाइल इंजी/ मेन्युफेक्चरिंग टेक्नालॉजी/ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग/ टूल एंड डाई मेकिंग/ फेबीकेशन टेक्ना. एंड इरेक्शन इंजी. / ड्रिलिंग टेक्नालॉजी / मेकाट्रानिक्स, / टेक्सटाइल इंजी/ प्रिंटिंग टेक्नालॉजी, / पल्प एंड पेपर टेक्नालॉजी, / शुगर टेक्नालॉजी/ प्लास्टिक टेक्नालाजी
11	मेकाट्रानिक्स इंजी.	संबंधित ब्रांच – मेकाट्रानिक्स इंजी. समुचित ब्रांच – इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन/ मेकेनिकल इंजी.
12	मेटलर्जिकल इंजी	संबंधित ब्रांच – मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग समुचित ब्रांच – मिनरल इंजी./ सिरैमिक इंजी.
13	माइनिंग इंजी.	संबंधित ब्रांच – माइनिंग इंजी. समुचित ब्रांच – माइन सर्वेइंग / ड्रिलिंग इंजीनियरिंग/ मिनरल इंजीनियरिंग
14	बी. फार्मसी	डी. फार्मसी (द्विवर्षीय)

टीप :- 1. सबसे पहले संबंधित ब्रांच के अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु प्राथमिकता दिया जायेगा । यदि सीट रिक्त हो और संबंधित ब्रांच के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो फिर समुचित ब्रांचों को एक समान मानते हुये एकजाई मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा । किसी ब्रांच के नाम में इंजी. अथवा टेक. प्रत्यय होने पर उसे समान माना जाएगा ।

2. बी.एस.सी. अभ्यर्थी सीट रिक्त रहने पर किसी भी ब्रांच (फार्मसी को छोड़कर) में प्रवेश हेतु पात्र हैं। परंतु सीट का आबंटन डिप्लोमा अभ्यर्थी की सुची समाप्त होने के पश्चात ही किया जाएगा ।

3. बी.एस.सी. स्नातकों को तकनीकी विश्वविद्यालय के नियमानुसार इंजीनियरिंग ड्राईंग, वर्कशॉप, एप्लाइड मेकेनिकस, बेसिक इंजीनियरिंग आदि विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर इन विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । डिप्लोमाधारी को भी

तकनीकी विश्वविद्यालय के नियमानुसार गणित, भौतिक, रसायन एवं अन्य आदि विषय को अतिरिक्त अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी ।

4. किसी ब्रांच के समतुल्य होने के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर संचालक का निर्णय मान्य होगा।
  5. यह नियमित कोर्स हैं एवं नौकरी पेशा अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए अपने नियोक्ता से इस संबंध में अनापत्ति / प्रायोजन प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है । इनके लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है।
  6. आयु सीमा:— बी.ई./बी. फार्मसी द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु दिनांक 01.07.2011 को अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष है । छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/विकलांग /महिला अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट रहेगी । नौकरी पेशा अभ्यर्थी लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है।
  7. उपलब्ध सीटों की जानकारी वेबसाइट [www.mkcl.biz/cglateral2011](http://www.mkcl.biz/cglateral2011) के होम पेज पर दिया है ।
2. काउंसिलिंग हेतु निर्धारित फीस – सभी अभ्यर्थियों को ऑन लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिये निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क रु. 500/– (रु. पाँच सौ केवल) की राशि जमा करना अनिवार्य है । यह राशि चालान के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के देश भर में स्थित किसी भी शाखा में “संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़” के नाम से संचालित खाता क्रमांक – 31073343567 में जमा करना है । फीस चालान के अतिरिक्त और किसी अन्य रूप में जैसे :- डी.डी., चेक, नगद के रूप में फीस स्वीकार्य नहीं है । ऑनलाईन काउंसिलिंग फार्म भरने से पूर्व रु. 500/– का चालान जमा कर लें । चालान निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें, चालान का प्रारूप पी.ई.टी. – 2011 के नियम पुस्तिका के अंत में दिया गया है । चालान का प्रारूप वेबसाइट [www.cgdteripur.ac.in](http://www.cgdteripur.ac.in) अथवा [www.mkcl.biz/cglateral2011](http://www.mkcl.biz/cglateral2011) से भी डाउन लोड कर उपयोग किया जा सकता है। चालान फार्म में Registration ID/Ref. No. के सामने डिप्लोमा/बीएससी –2011 का रोल नंबर लिखें । इसकी तीन प्रति में से एक प्रति बैंक में जमा होगी, DTE की कॉपी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जमा किया जाना है एवं Candidate Copy को अभ्यर्थी को अपने पास सुरक्षित रखना है । एक बार जमा की गई काउंसिलिंग फीस किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं है। संस्था स्तर की काउंसिलिंग के लिए सिर्फ उन्हीं आवेदकों से जिन्होंने पहले रु 500 का चालान जमा नहीं किया है से संस्था स्तर पर रु 200/की फीस ली जा सकती है।

### 3. ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रिया :

1. A) Online Registration : ऑन लाईन पंजीकरण (Online Registration) जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा हो, अपनी सुविधानुसार घर पर, किसी सायबर कैफे में, किसी इंटरनेट पार्लर पर अथवा संचालनालय द्वारा निर्धारित एम.के.सी.एल. के सहायता केन्द्रों (Help Centres) में किया जा सकता है । कम्प्यूटर सिस्टम में Internet Explorer 6 अथवा उससे उच्च क्षमता वाले ब्राउजर का होना आवश्यक है । ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प फार्म भरने हेतु जाने से पूर्व आपको निम्न दस्तावेज अपने साथ में अवलोकन हेतु रखने चाहिये । डिप्लोमा/बीएससी की अंकसूची, रोल नंबर एवं प्राप्तांकों को भरने के लिए, बैंक चालान की प्रति, चालान संबंधी जानकारी भरने के लिये एवं संस्था एवं ब्रांच की सूची प्राथमिकता क्रम देने के लिये। अतः इन्हें देखने (सहायता) के लिये अपने साथ में लेकर जायें । संस्थाओं एवं वहाँ संचालित पाठ्यक्रमों की सूची वेबसाइट के होम पेज पर भी दी रहेगी ।

ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन के लिये आपको निम्न चरण (Steps) करने होंगे ।

सबसे पहले उम्मीदवार [www.mkcl.biz/cglateral2011](http://www.mkcl.biz/cglateral2011) नामक वेबसाइट में जायें । इसके होम पेज पर कई जानकारियाँ दी गई हैं । जैसे :- विज्ञापन, समस्त संस्थाओं की सूची,, संस्थाओं की फीस की जानकारी, बैंक चालान का प्रारूप विभिन्न प्रारूपों की जानकारी, काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी, आदि । इन समस्त जानकारियों का भी अवलोकन कर लें ।

- 1 (अ) इसके पश्चात् स्क्रीन के बायें तरफ के मेनु [New Registration] को क्लिक करें एवं दिये गये निर्देशों को ध्यान से पढ़ें । फिर [Proceed] बटन में क्लिक करें । दिये गये नियम एवं शर्तों (Terms & Conditions) को ध्यान से पढ़ें, यदि ये शर्तें आपको मान्य हैं तो [Accept] बटन पर क्लिक करें । [Reject] करने पर आप प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे । यदि आपने त्रुटिवश [Reject] कर दिया है तो पुनः [New Registration] में जाकर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं ।

- (ब) अगले स्क्रीन पर आपके मूल निवास की जानकारी पूछी जायेगी, यदि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है तो सेलेक्ट Domicile Status में Chhattisgarh Domicile रेडियो बटन में माउस प्वाइंटर के माध्यम से क्लिक करें, यदि आप अन्य राज्य के निवासी हैं तो Other state में क्लिक करें। डिप्लोमा अथवा बीएससी में क्लिक करें। इसके पश्चात् अपना डिप्लोमा/बीएससी का नामांकन क्रं (ENRoll No.) तथा जन्मतिथि (DOB) एंटर करें । इसके बाद आपको Password डालने के लिये कहा जायेगा । आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी Password जिसे आप आसानी से याद रख सकें, यहाँ एंटर करें । पासवर्ड 06 digit का होना चाहिये एवं यह शब्दों या अंकों अथवा दोनों के मेल से बनाया जा सकता है । पासवर्ड को कन्फर्म करने के लिये पुनः दोबारा भरे जाने के लिये कहा जायेगा । इसके पश्चात् Save & Proceed >>> करें । अगले स्क्रीन पर आपको अपना लॉगईन आई.डी. नंबर दिखाई देगा इसे सुरक्षित नोट कर लें, चाहें तो प्रिंट ले लें । अपना लॉगईन आई.डी. एवं

- पासवर्ड याद रखें । यह संस्था में प्रवेश के समय भी काम आयेगा । इसे किसी अनधिकृत को न बतायें । इसके पश्चात् **Proceed to fill application form >>>** में क्लिक करें ।
- (स) एक पॉप अप विंडो खुलेगा जिसमें **Candidate** में क्लिक करें तथा **Login Id & Password** डालकर **Login** करें।
- (द) अगले स्क्रीन पर बायें तरफ दिये **Fill Application Form**, टेब में क्लिक करें।
- (इ) इसके पश्चात् जो स्क्रीन खुलेगी उसमें आवेदन फार्म रहेगा इसमें चाही गई जानकारीयों भरनी होंगी जैसे :- नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि, केटेगरी , वर्ग, प्रवर्ग ,मातृभाषा, धर्म, परिवार की आय, क्षेत्र, पता, राज्य, पिनकोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर आदि इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें
- (फ) शैक्षणिक योग्यता की जानकारी में –

यदि आप डिप्लोमाधारी है तो डिप्लोमा में क्लिक करें ।

डिप्लोमा के ब्रांच का नाम ,रोल नं., संस्था का नाम, वि.वि. का नाम ,उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा निर्धारित स्थान पर सभी दिए गए प्रश्न पत्रों विषयों के प्राप्तांक एवं कुल अंक भरें । इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें ।

यदि आप बीएससी के आधार पर प्रवेश ले रहे हों तो BSc रेडियो बटन में क्लिक करें ।

12वीं में एक विषय गणित का प्राप्तांक भरें ।

बीएससी का रोल नंबर , संस्था का नाम, वि.वि. का नाम ,उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा निर्धारित स्थान पर सभी दिए गए प्रश्न पत्रों विषयों के प्राप्तांक एवं कुल अंक भरें । इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें ।

- 1 (ग) चालान संबंधी जानकारी – भारतीय स्टेट बैंक के जिस ब्रांच में चालान जमा किया गया है उस ब्रांच का नाम एवं जमा करने की तिथि अंकित करें ।

#### 1. (B) विकल्प (Option) भरना –

- 1 B (अ) विकल्प भरने के लिये **Select Branch/Course** में जाये । ..... किसी एक ब्रांच का नाम चुनें एवं क्लिक करें । इस ब्रांच को संचालित करने वाली संस्थाओं के नाम वर्णमाला के क्रम (**Alphabatically Order**) में नीचे प्रदर्शित होंगे । जिस-जिस संस्था में प्रवेश लेने के लिये आप विकल्प भरना चाहते हैं, उनके सामने के चेक बॉक्स में क्लिक करते जायें । आप जितना चाहें उतनी संस्थाओं का नाम दे सकते हैं (अधिक से अधिक संस्थाओं का नाम दें) । इसके पश्चात् [**Add Selected Options**] को क्लिक करें । चुनी हुई संस्थाओं के नाम नीचे प्रदर्शित हो जायेंगे । अब दूसरे ब्रांच को क्लिक करें इसको संचालित करने वाली संस्थाओं की सूची प्रदर्शित होगी । जहाँ-जहाँ प्रवेश लेने के इच्छुक हैं उनको चेक बॉक्स में क्लिक करते जायें । पुनः [**Add Selected Options**] बटन दबायें, चुनी हुई संस्थाओं के नाम नीचे प्रदर्शित सूची में जुड़ जायेगी । यही प्रक्रिया अन्य ब्रांच के लिये करें । आप उपलब्ध सभी ब्रांच एवं सभी संस्थाओं का विकल्प भर सकते हैं । परंतु आबंटन केवल आपके मेरिट के आधार, एवं सीट उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रम के आधार पर केवल एक ही ब्रांच एवं एक ही संस्था के लिये होगा । इच्छानुसार सारे विकल्प भरने के बाद तब अंत में **Save & Proceed>>>** में क्लिक करें
- टीप :- **Select Branch/Course** में डिप्लोमाधारी के प्रकरण में केवल वे ही ब्रांच प्रदर्शित होंगे जिनमें वे पवेश हेतु पात्र हैं ।

विकल्प का प्राथमिकता क्रम (**Priority/Preference**) देना :-

- 1 B (ब) आपके द्वारा चुने हुये संस्थाओं की ब्रांचों सहित सूची दिखाई देगी । अब जिस ब्रांच एवं संस्था **विकल्प** में आप पहले प्रवेश लेना चाहते हैं उसको पहला क्रम (**Choice**) देने हेतु उसके सामने [**Set Preference**] में क्लिक करें । इसका क्रम **Preference No. 1** आ जायेगा । अब प्राथमिकता क्रम में दूसरे (**Choice**) का चयन करें । उसका क्रम – 2 आ जायेगा इसी प्रकार सभी बॉक्स को टिक करते जायें । सभी विकल्प के सामने क्रम प्रदर्शित होते जायेंगे । सभी विकल्प का क्रम पुनः जांच कर लें यदि आपको यह लगता है कि क्रम बदलना चाहिये या क्रम में कोई त्रुटि हो गई है तो इसे आप बदल सकते हैं । ऐसा करने के लिये [**Reset My Preference**] में क्लिक करें इससे पुराने क्रम मिट जायेंगे । अब उपरोक्तानुसार ही प्रक्रिया कर पुनः सभी विकल्पों का नवीन क्रम दे दें । जब आप आश्वस्त हो जायें कि अब क्रम सही है तो अंत में **Save & Proceed>>>** में क्लिक करें ।
- (टीप :- 1. यह छात्र की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी विकल्प का क्रम भरा गया है वह उसके स्वयं के इच्छा एवं विवेक से भरा गया है । किसी प्रलोभन, दबाव या किसी के कहने पर नहीं भरा गया है । सलाह दी जाती है कि सहायता केन्द्रों में जाने से पहले अपना संस्था/ब्रांच का प्राथमिकता क्रम तैयार कर लें । जिससे विकल्प भरते समय ज्यादा कठिनाई न हो एवं ज्यादा समय न लगे ।

2. यह ध्यान रखें कि चूंकि आबंटन कार्य पूरी तरह से साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन होता है । अतः यदि आपने विकल्पों का चयन तो किया है परंतु उनका क्रम नहीं दिया है तो उन विकल्पों का आबंटन नहीं होगा जिनका चयन तो आपने किया है परंतु क्रम नहीं दिया है । केवल उन्हीं विकल्पों में से आबंटन होगा, जिनका क्रम आपने दिया है ।

1 B (स) इसके पश्चात् स्क्रीन पर Application cum Option Form प्रदर्शित होगा, इसका प्रिंट ले लें, एवं प्रिंट लेने के पश्चात् फोटो लगा लें । इसका प्रिंट लेना अनिवार्य है क्योंकि इसी प्रिंट को लेकर आपको दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (DVC) में जाना है । यदि प्रिंट लेने के पश्चात् आपको पुनः यह लगता है कि विकल्प के क्रम में कोई बदलाव किया जाना है तो यह बदलाव अभी किया जा सकता है । यदि आप अपने विकल्प में बदलाव करेंगे तो आपका पुराना विकल्प वाला फार्म स्वमेव निरस्त हो जायेगा एवं नये विकल्प फार्म का Version No. बदल जायेगा । Version No., Application cum Option Form के प्रथम पृष्ठ पर उपर बीच में दिया रहता है । निर्धारित अंतिम तिथि तक आप कितने बार भी अपने विकल्प बदल सकते हैं । परंतु इसके पश्चात् विकल्प बदलने की अनुमति नहीं रहेगी । जो विकल्प फार्म आपने अंतिम बार भरा है उसी विकल्प फार्म का अंतिम (Version) ही मान्य किया जायेगा । इसके पूर्व के विकल्प नहीं ।

### विकल्प बदलने की प्रक्रिया –

यदि आप विकल्प बदलना चाहते हैं तो आप click here to Login में जायें, स्क्रीन पर बायें तरफ के संबंधित टैब Shortlist Your Option अथवा Set Your Preference में जायें । यदि आपको पूर्व में दिये गये विकल्पों का केवल क्रम बदलना है तो Set Your Preference में जायें तथा यदि आपको पूर्व में दिये गये विकल्पों में कुछ नये विकल्प जोड़ने या घटाने हैं तो पहले Shortlist Your Option में जायें तत्पश्चात् Set Your Preference में जाकर पुनः उनका क्रम दें एवं पुनः उसका प्रिंट ले लें और इस Application cum Option Form जिसमें आपसे संबंधित व्यक्तिगत जानकारी एवं विकल्पों का क्रम रहेगा, को लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (DVC) में जायें । अंतिम Version क्रमांक वाला विकल्प फार्म को लेकर आप दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जायेंगे वही विकल्प मान्य होगा । Application cum Option Form की दो कॉपी कर लें एवं 01 कॉपी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जमा करें । साथ में अनिवार्य रूप से सभी मूल अंकसूची एवं उसकी फोटो कॉपी की एक सेट भी लेकर जायें ।

टीप :- आप रजिस्ट्रेशन एवं ऑप्शन फार्म कहीं से भी भर सकते हैं यदि किसी भी स्तर पर कोई कठिनाई होती है तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अथवा MKCL के सहायता केन्द्रों (Help Centre) में जाकर मदद पाई जा सकती है । MKCL के अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची वेबसाइट में उपलब्ध है ।

टीप :- एम.के.सी.एल. सहायता केन्द्र केवल अभ्यर्थी को फार्म भरने के लिये कम्प्यूटर, इंटरनेट एवं वेबसाइट के पेजों का उपयोग कैसे किया जाये, इसके बारे में ही सलाह दे सकेंगे । विकल्प अभ्यर्थी को अपनी इच्छानुसार भरना है । सहायता केन्द्रों का उपयोग करने पर अभ्यर्थी को रु. 10/- प्रोसेसिंग शुल्क एवं रु. 5/- प्रति पेज का प्रिंटिंग शुल्क देय होगा । कोई भी सहायता केन्द्र आपकी इच्छा के विरुद्ध विकल्प नहीं भर सकता, विकल्प अभ्यर्थी को ही भरना है ।

### 2. दस्तावेज परीक्षण कराना (Document Verification) –

संस्था आबंटन से पूर्व आपके दस्तावेजों का परीक्षण होना अनिवार्य है, इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा । दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, । दस्तावेज परीक्षण का कार्य संचालनालय द्वारा निर्धारित दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में से किसी भी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराया जा सकता है । ध्यान रहे कि यदि आपने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया है तो आपका प्रकरण आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि DVC द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म करने के पश्चात् ही आपका विकल्प डाटाबेस में आयेगा (दस्तावेज परीक्षण केन्द्र कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में खुले रहेंगे, केवल दोपहर 1.30 से 2.00 बजे के मध्य भोजनावकाश रहेगा) । दस्तावेज परीक्षण के समय भी यदि आपको लगता है कि आपने विकल्प गलत भर दिये हैं अथवा उनके क्रम अलग दे दिये हैं तो दस्तावेज परीक्षण कार्य को ऑनलाईन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा कन्फर्म करने से पूर्व आप इसमें बदलाव कर सकते हैं । जो अंतिम बदलाव होगा वही मान्य होगा । एक बार दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म कर देने के पश्चात् फिर विकल्प में फेरबदल नहीं हो सकता ।

**दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है:-**

स.क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक	स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक
1	संचालनालय तकनीकी शिक्षा, बायरन बाजार, रायपुर	रायपुर	0771-2421376	6	शासकीय पॉलीटेकनिक, दुर्ग, जी.ई. रोड, दुर्ग	दुर्ग	0788-2323548
2	शास.पॉलीटेकनिक, अंबिकापुर, मनेन्दगढ़ नाका, अंबिकापुर	सरगुजा	07774-220609	7	शासकीय पॉलीटेकनिक, रायगढ़, चक्रधर नगर, रायगढ़	रायगढ़	07762-222737
3	शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर, कोनी., बिलासपुर	बिलासपुर	07752-260289	8	शासकीय पॉलीटेकनिक, कोरबा, रूमगरा, बाल्को नगर, कोरबा	कोरबा	07759-215696
4	शास. इंजी. महा. जगदलपुर, धरमपुरा नं-2, जगदलपुर	बस्तर	07782-229436	9	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक रायपुर, बायरन बाजार, रायपुर	रायपुर	0771-2423045
5	शासकीय पॉलीटेकनिक, धमतरी, रूद्री, धमतरी	धमतरी	07722-237618	10	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक राजनांदगाँव, तहसील कार्यालय, राजनांदगाँव	राजनांदगाँव	07744-226830

- 2 (अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं आपने उसके एक सेट फोटो कॉपी करा लिये हैं । जो दस्तावेज आपको लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाना है वे निम्नानुसार हैं

**सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज** – सभी प्रमाण पत्रों के मूल (Original) एवं 01 सेट फोटोकॉपी लेकर जाना अनिवार्य है परंतु मूल प्रमाण पत्र DVC में जमा नहीं करना है । केवल दिखाना है एवं वापस प्राप्त करना है । सभी प्रमाण पत्र वापस प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की रहेगी ।

1. कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म की प्रति ।
2. 10वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र ।
3. डिप्लोमा/बीएससी की समस्त सेमेस्टर्स/वर्षों की अंकसूचियां (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं) । दस्तावेज परीक्षण के दिन अभ्यर्थी को डिप्लोमा/बीएससी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, **पूरक/अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी का दस्तावेज कन्फर्म नहीं किया जायेगा ।**
4. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र 04 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक – 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक प्रारूप में (च्वाइंस सेंटर से बना निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा)। अन्य राज्य कोटा के लिये अन्य राज्य का मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र ।
5. रु. 500/– कार्डसिलिंग फीस जमा करने के साक्ष्य के रूप में बैंक चालान की DTE प्रति ।
- 6 02 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर आना है ।

**छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित श्रेणियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज** –

7. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने के लिये **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा) । अन्य राज्य के SC/ST/OBC के प्रमाण पत्र धारी को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा ।
8. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने संबंधी **जाति सत्यापन प्रमाण पत्र** । यदि जाति सत्यापन प्रमाण पत्र न बना हो तो इसके लिये 02 माह का समय दिया जायेगा । इसके पश्चात् भी प्रमाण पत्र जमा न करने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।

यदि आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो डाटाबेस में दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका प्रवर्ग (category) SC/ST/OBC को परिवर्तित कर UR कर दी जायेगी एवं आपका आबंटन UR के मेरिट के आधार पर होगा न कि आरक्षित श्रेणी के आधार पर । यदि आपके पास जाति सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं है तो इसे बनाने के लिये प्रवेश तिथि से लेकर 02 माह का समय दिया जायेगा । यदि आप 02 माह के भीतर भी जाति सत्यापन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाये एवं यदि आपका आबंटन आरक्षित श्रेणी में हुआ है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी

उपरोक्त प्रमाण पत्र लेकर जब आप दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र के अधिकारियों द्वारा आपके मूल दस्तावेजों से आपके **Application cum Option Form** में दी गई जानकारी का मिलान किया जायेगा एवं यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिये कहा जायेगा । यदि आपकी किसी जानकारी जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, कटेगरी, क्लास, लिंग आदि में पी.ई.टी. फार्म भरते समय त्रुटि हो गई हो तो लिखित में आवेदन देकर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे सुधरवाया जा सकता है । जब सभी दस्तावेज सही पाये जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका **Application cum Option Form** को अंतिम रूप से सबमिट कर दिया जायेगा । सबमिट करने पर **Reciept cum Acknowledgement Form** प्रदर्शित होगा । इसके बाद इसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकेगा । **Reciept cum Acknowledgement Form** की 01 प्रति प्रिंट की जायेगी एवं इसमें छात्र के हस्ताक्षर लिये जायेंगे तथा परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर एवं DVC की सील भी लगाई जायेगी । DVC द्वारा आपको **Reciept cum Acknowledgement Form** की 01 प्रति दी जायेगी, जिसे आप सुरक्षित रखें । कार्डसिलिंग स्थल से बाहर जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जो फार्म आपको दी गई है वह **Reciept cum Acknowledgement Form** फार्म ही है एवं उसमें DVC की सील लगी है ।

**निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में नहीं है इसीलिये इन दस्तावेजों को साथ में नहीं लाना है, परंतु इनकी आवश्यकता संस्थानों में प्रवेश लेते समय रहेगी । अतः संस्था में प्रवेश के समय साथ लेकर जायें ।**

1. SC/ST/OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आय प्रमाण पत्र
2. स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र
3. गेप प्रमाण पत्र (यदि 8वीं से 12वीं के मध्य अध्ययन में व्यवधान हुआ है तो)
4. माइग्रेसन प्रमाण पत्र (अन्य राज्य के बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये)

**टीप :- यदि आपको किसी एम.के.सी.एल. सहायता केन्द्र अथवा दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से कोई शिकायत हो तो इसकी लिखित शिकायत स्वयं उपस्थित होकर संचालनालय में की जा सकती है ।**

### 3. सीट आबंटन

(अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् एक निश्चित तिथि को सभी अभ्यर्थियों का संस्था/ब्रांच आबंटन कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को संस्था का आबंटन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा दिये गये एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म के प्रिंट आउट में दिये गये जानकारी के अनुसार उनके डिप्लोमा/बीएससी के मेरिट के आधार तथा उस वर्ग/प्रवर्ग में वह सीट उसकी बारी आने तक उपलब्ध रहने के आधार पर होगा। डिप्लोमा अभ्यर्थियों को वही ब्रांच आबंटित होगी जिसमें वे प्रवेश हेतु पात्र हैं। बीएससी अभ्यर्थियों को कोई भी ब्रांच आबंटित हो सकती है।

आबंटन सूची वेबसाइट [www.mkcl.biz/cglateral2011](http://www.mkcl.biz/cglateral2011) अथवा पर देखा जा सकता है, यदि आपने मोबाइल नंबर दिया हो तो SMS के द्वारा आपको सूचित किया जायेगा। SMS प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी संचालनालय/एम.के.सी.एल. की नहीं रहेगी।

(ब) आप Check allotment details में जाकर अपने एप्लीकेशन आईडी नंबर डालकर अपना अस्थायी आबंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अस्थायी आबंटन पत्र इंटरनेट द्वारा कहीं से भी निकाला जा सकता है। इसकी 01 प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। इसे लेकर आबंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त करें।

#### 4. आबंटित संस्था में प्रवेश लेना –

आबंटित संस्था में दिये गये निर्धारित अवधि तक प्रवेश लेना अनिवार्य है। यदि इस अवधि में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो आपका आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा। ध्यान रखें कि प्रवेश के समय आबंटित संस्था में भी आपके दस्तावेजों की जांच होगी। अतः संस्था में प्रवेश के लिये अस्थायी आबंटन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित फीस के साथ संस्था में उपस्थित हों, संस्थाओं की फीस की जानकारी वेबसाइट के होम पेज पर दी गई है। यदि प्रवेश के समय अथवा उसके बाद भी किसी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि छात्र द्वारा गलत जानकारी देने के कारण अथवा किसी अन्य त्रुटि के कारण गलत प्रवेश/आबंटन हो गया है तो प्रवेश/आबंटन रद्द करने का अधिकार संचालनालय/संस्था को रहेगा।

चूंकि प्रवेशित छात्रों की जानकारी संस्थाओं द्वारा ऑन लाईन रोजाना अपडेट की जायेगी। अतः छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश सुनिश्चित करने के लिये अपने सामने ही वेबसाइट के इंस्टीट्यूट लॉग इन में अपना प्रवेश कन्फर्म करवा लें। बिना ऑनलाईन कन्फर्म किये छात्र का प्रवेश मान्य नहीं होगा।

#### 5. प्रवेश के पश्चात् रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाइट में अपलोड करना –

प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् समस्त संस्थाओं में कुछ अभ्यर्थियों के प्रवेश नहीं लेने के कारण एवं प्रथम चरण में आबंटन नहीं होने के कारण रिक्त सीटों की सूची निर्धारित तिथि को प्रदर्शित की जायेगी।

6. संचालनालय द्वारा आयोजित आनलाइन काउंसिलिंग के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों को संस्था स्तर की काउंसिलिंग से भरने की अनुमति (18 से 20 सितंबर 2011 तक) दी जाती है। रिक्त सीटों की संख्या वेबसाइट में यथा समय दे दी जाएगी। प्रवेश नियम वैसे ही रहेंगे जैसे संचालनालय स्तर की काउंसिलिंग में लागू हैं। इच्छुक अभ्यर्थी सीधे संस्था से संपर्क कर सकते हैं। 20 सितंबर के पश्चात् किसी स्तर पर प्रवेश नहीं होगा। रिक्त सीटों की संख्या में पिछले वर्ष के कारण रिक्त रह गई सीटों को नहीं जोड़ा जाना है। केवल पिछले वर्ष के स्वीकृत सीटों का 20 प्रतिशत सीट ही लिया जाना है।

7. काउंसिलिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी [www.mkcl.biz/cgpet2011](http://www.mkcl.biz/cgpet2011) में दी गई है। आवश्यक पूछताछ के लिये दूरभाष क्रमांक 0771-2421376 एवं मोबाइल नंबर 98274-72366 पर संपर्क किया जा सकता है।

8. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी/संचालक, तकनीकी शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा।

संचालक  
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़